न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –193 / 2019(2019 / 00299)

अनवान : –

1. अनिल कुमार पुत्र बलवन्त सिंह जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. बलवन्त सिंह पुत्र शादीराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
2. विनोद कुमार पुत्र बलवन्त सिंह जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. आईसीआईसीआई बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री श्रवण सहारण प्रथम वादी
श्री श्रवण सहारण द्वितीय प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 28/09/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 50 / 48 के मु0न0 29 के किला न0 21 ता 24, मु0 न0 30 के किला न0 12 ता 15, मु0 न0 35 के किला न0 4, 7, 14, मु0 न0 39 के किला न0 1 ता 5, 25, मु0 न0 46 के किला न0 5, 6, मु0 न0 55 के किला न0 1 ता 5, इस प्रकार कुल किता 24 की कुल 6.072 हैक्टेयर नहरी 5.288 है0 बारानी 0.759 है0 खाला 0.025 है0 प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा शादीराम की खातेदारी हुआ करती थी। शादीराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी बलवन्त सिंह के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को [illegible] के अनुसार विरासतन मिली थी। परन्तु प्रतिवादी बलवन्त सिंह कर्ता खान[illegible] है के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी बलवन्त सिंह ने अपने [illegible] इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का ज[illegible]क व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी बलवन्त सिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:14:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त सिंह को वादी के दादा शादीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो चक 6 एमएसआर जमाबन्दी सम्वत 2052–55 के खाता संख्या 51/47 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में 1/3 हक व हिस्सा निहित है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उसे केसीसी ऋण आदि की आवश्कता रहती है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज वादभूमि चक 6 एमएसआर के खाता संख्या 50/48 की कुल 6.072 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी अनिल कुमार पुत्र बलवन्त सिंह जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढ़िया के साक्ष्य करवाये गये । साक्ष्यवादी में सरपंच ग्राम पंचायत सरदारगढ़िया के द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 6 एमएसआर सम्वत 2072–75 खाता संख्या 50/48 प्रदर्श 2, जमाबंदी खतौनी चक 6 एमएसआर सम्वत 2052–55 के खाता संख्या 51/47 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा चक 6 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 50/48 के मु0न0 29 के किला न0 21 ता 24, मु0 न0 30 के किला न0 12 ता 15, मु0 न0 35 के किला न0 4, 7, 14, मु0 न0 39 के किला न0 1 ता 5, 25, मु0 न0 46 के किला न0 5, 6, मु0 न0 55 के किला न0 1 ता 5, इस प्रकार कुल किता 24 की कुल 6.072 हैक्टेयर नहरी 5.288 है0 बारानी 0.759 है0 खाला 0.025 है0 प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त सिंह के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रोही मौजा चक 6 एमएसआर के खाता संख्या 50[illegible] के [illegible]रब्बा न0 30 के किला न0 12 ता 15 की कुल 1.012 हैक्टेयर भूमि के [illegible] या साक्ष्य पेश नही किये है जिससे साबित होता हो कि मुरब्बा न0 30 की उक्त [illegible] पैत्रक कृषि भूमि है। मुरब्बा न0 29. 35, 39, 46, 55 की वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:14:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 6 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 50/48 के मु0न0 29 के किला न0 21 ता 24 की 1.012 है0, मु0 न0 35 के किला न0 4, 7, 14 की 0.759 है0, मु0 न0 39 के किला न0 1 ता 5, 25 की 1.518 है0 मु0 न0 46 के किला न0 5, 6 की 0.506 है0, मु0 न0 55 के किला न0 1 ता 5 की 1.265 है0 प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी संख्या 1 अनिल कुमार एवं प्रतिवादी सं 1 बलवन्त सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 विनोद कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(जयसिंह चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:14:22 IST
Reason: SelfAttested